



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02092026-275937
CG-DL-E-02092026-275937

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 704]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 2, 2026/भाद्र 11, 1948

No. 704]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 2, 2026/BHADRA 11, 1948

आवास और शहरी कार्य मंत्रालय
[राजधानी विकास विभाग (दिल्ली प्रभाग)]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2026

सा.का.नि. 772(अ).— मंत्रिमंडल सचिवालय की दिनांक 22 जुलाई, 2026 की अधिसूचना सं. का.आ. 4040(अ) जिसके द्वारा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत राजधानी विकास विभाग' का गठन किया गया है और भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 की दूसरी अनुसूची में "क. राजधानी विकास विभाग" शीर्षक के अंतर्गत क्रम संख्या 1 से 25 पर विनिर्दिष्ट विषयों को इसे आवंटित किया गया है, के अनुसरण में, इसके द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि —

2. किसी भी अधिनियम, नियम, विनियम, अधिसूचना, आदेश, दिशानिर्देश, उप-नियम या योजना में जहां कहीं भी "सचिव, शहरी विकास" या "सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय" का संदर्भ आता है, वहां तक जहां ऐसा संदर्भ पूर्वोक्त राजधानी विकास विभाग को आवंटित किसी विषय से संबंधित है, "सचिव, राजधानी विकास विभाग, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

3. इस अधिसूचना में कुछ भी उक्त विषयों के संबंध में इस अधिसूचना की तारीख से पहले सचिव, शहरी विकास या सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई, पारित आदेश या की गई बात की वैधता को प्रभावित नहीं करेगा, और ऐसी प्रत्येक कार्रवाई को सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत रूप से किया गया माना जाएगा।

[फा. सं. ए-11014/09/2026-डीडी. II]

सूर्य नारायण झा, अवर सचिव

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS
[Department of Capital Development(Delhi Division)]

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st September, 2026

G.S.R. 772(E).—In pursuance of notification of the Cabinet Secretariat No. S.O. 4040(E) dated 22nd July, 2026, whereby the 'Department of Capital Development' has been constituted within the Ministry of Housing and Urban Affairs and the subjects specified at serial numbers 1 to 25 under heading A. Department of Capital Development in the Second Schedule to the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961 have been allocated to it, it is hereby notified that —

2. All references to "Secretary, Urban Development" or "Secretary, Ministry of Housing and Urban Affairs", wherever occurring in any Act, rule, regulation, notification, order, guideline, bye-law or scheme, in so far as such reference relates to any subject allocated to the Department of Capital Development as aforesaid, shall stand substituted by "Secretary, Department of Capital Development, Ministry of Housing and Urban Affairs".

3. Nothing in this notification shall affect the validity of any action taken, order passed, or thing done by the Secretary, Urban Development or Secretary, Ministry of Housing and Urban Affairs before the date of this notification in relation to the said subjects, and every such action shall be deemed to have been validly taken by the competent authority.

[F. No. A-11014/09/2026-DD. II]

SURYA NARAYAN JHA, Under Secy.